

न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष: एच.के. कौशिक)
दांडिक अपील क्र.-222/2016
प्रस्तुति/संस्थित दिनांक-25.10.2016

बादाम सिंह पुत्र रूप सिंह गुर्जर आयु
 24 साल निवासी ग्राम रते का पुरा
 थाना एण्डोरी, परगना गोहद जिला
 भिण्ड म0प्र0.....अपीलार्थी/अभियुक्त

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी
 केन्द्र एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0

.....**प्रत्यर्थी**

राज्य द्वारा : अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल।
 अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा : अधिवक्ता श्री के.सी. उपाध्याय।

// निर्णय //

(आज दिनांक 11.05.2018 को घोषित)

- यह अपील न्यायालय श्री पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1234/2015, पुलिस आरक्षी केन्द्र एण्डोरी के अपराध क्रमांक 144/2015 अंतर्गत धारा-25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम उनवान पुलिस आरक्षी केन्द्र एण्डोरी बनाम बादाम सिंह में घोषित निर्णय व दण्डादेश दि0-21.10.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके तहत अपीलार्थी/अभियुक्त बादाम सिंह को धारा-25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 100/-रुपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच दिवस का सश्रम कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताये जाने के दण्ड से दण्डित किया है।
- अभियोजन के अनुसार दिनांक 06.12.2015 को पुलिस थाना एण्डोरी के थाना प्रभारी बाल्मीकि चौबे रोजनामचा सान्हा क्रमांक 151 में प्रविष्टि कर मय हमराह फोर्स एसएसआई एम.एल. डोंगर, आरक्षकगण योगेन्द्र, मनीष, रविन्द्र, आरक्षक चालक रामनिवास के

साथ आरक्षी केन्द्र एण्डोरी के अपराध क्रमांक 113/2015 में अभियुक्त बादाम सिंह की तलाश हेतु टीन का पुरा रवाना हुए थे और जैसे ही पुलिस बल बाराहेट मानपुर रोड पर पहुंचा तभी एक व्यक्ति दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराह पुलिस फोर्स की मदद से पकड़ा गया। अभियुक्त का नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम बादाम सिंह पुत्र रूप सिंह गुर्जर निवासी रते का पुरा का होना बताया। अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिये था जिसे वह अपने स्वेटर से ढके था, के संबंध में लाइसेंस के बारे में पूछने पर लाइसेंस न होना बताया। मौके पर ही उक्त धारदार छुरी समक्ष साक्षीगण जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-01 बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-02 बनाया गया। थाना वापस आकर प्र0पी0-03 की प्रथमसूचना रिपोर्ट लिखी गई। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 144/2015 अंतर्गत धारा-25(बी) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. विचारण न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेने के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया। जिसके कारण मामले का विचारण किया गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को निर्णय की कंडिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अनुसार दण्डादेश से दण्डित किया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-

“क्या आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश विधि एवं तथ्यों के अनुरूप न होकर हस्तक्षेप योग्य है ?”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. बाल्मीकि चौबे अ0सा0-2 का कहना है कि घटना दिनांक 06.12.2015 को थाना एण्डोरी में थाना प्रभारी रहते हुए अपराध क्रमांक 113/15 के अभियुक्त बादाम सिंह की तलाश में हमराह एसआई एम.एल. डोगर, आरक्षकगण मनीष, योगेन्द्र, रविन्द्र एवं शासकीय वाहन चालक रामनिवास के साथ बाराहेट मालनपुर पहुंचा तभी एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसने पकड़े जाने पर नाम बादाम सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी रते

का पुरा बताया जो हाथ में लिये स्वेटर में एक धारदार लोहे का छुरा बिना लायसेंस का रखे हुए था। साक्षी का यह भी कहना है कि अभियुक्त से साक्षीगण प्रदीप और मनीष के समक्ष उक्त छुरा जब्त कर जब्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 बनाकर अभियुक्त को गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-2 अनुसार गिरफ्तार किया और थाने पर आकर अपराध क्रमांक 144/15 अंतर्गत धारा 25 (ख) आयुध अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 लेखबद्ध की थी जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी-3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से होना पायी जाती है।

6. बाल्मीकि चौबे अ0सा0-2 का यह भी कहना है कि मौके पर अभियुक्त से जब्त किया गया छुरा आर्टिकल-ए है। मनीष अ0सा0-3 द्वारा भी उक्त घटना दिनांक 06.12.15 को थाना एण्डोरी में पदस्थ होना बताते हुए थाना प्रभारी बाल्मीकि चौबे के साथ जाना और उसके तथा प्रदीप के समक्ष अभियुक्त से प्रदर्श पी-1 के जब्ती अनुसार छुरा जब्त होना और प्रदर्श पी-2 के अनुसार गिरफ्तार किये जाने का तथ्य प्रकट किया है। प्रदीप कौरव अ0सा0-1 द्वारा भी अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किये जाने के उपरांत व्यक्त किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा उस समय अभियुक्त बादामसिंह हाथ में छुरा लिये हुए था और उसके सामने ही पुलिस ने छुरा जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया था। उपरोक्त साक्षीगण के कथन की पुष्टि प्रदर्श पी-1 के जब्ती पंचनामा व प्रदर्श पी-2 के गिरफ्तारी पंचनामा से होना पायी जाती है तथा बाल्मीकि चौबे अ0सा0-2 तथा मनीष अ0सा0-3 प्रतिपरीक्षण में पूर्णतः स्थिर रहे हैं।

7. साहब सिंह अ0सा0-4 ने अनुसंधान के दौरान हस्तगत मामले के अपराध क्रमांक 144/15 अंतर्गत धारा 25 (ख) आयुध अधिनियम की केसडायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि वह न्यायालय में असत्य कथन दे रहा है।

8. इस प्रकार प्र0पी0-01 के जप्ती पत्रक एवं प्र0पी0-02 के गिरफ्तारी पंचनामे से भी साक्षियों के कथनों की पुष्टि होना पाया जाता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मामला प्रमाणित हो रहा है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान दिया है और साक्ष्य की विवेचना किए जाने में कोई वैधानिक भूल नहीं की है। साक्षियों की साक्ष्य अखण्डित होना, साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि आपस में होना तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि प्र0पी0-01 एवं 02 से होना मान्य किए जाने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है।

9. इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियुक्त बादामसिंह को बिना वैध लाइसेंस के निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी अपने आधिपत्य में रखने के अपराध के लिए

दोषसिद्ध ठहराकर वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई दोषसिद्धि वैधानिक त्रुटि से ग्रसित न होने के कारण हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है। फलतः दोषसिद्धि के संबंध में अपील की पुष्टि की जाती है।

10. जहां तक दण्डादेश का प्रश्न, इस संबंध में उभयपक्ष को सुना गया। घटना दिनांक 06.12.15 की है, इस प्रकार घटना को लगभग ढाई वर्ष का समय हो चुका है। प्रकरण के अवलोकन से अभियुक्त दिनांक 06-12-2015 से 21-10-2016 तक कुल 10 माह 15 दिन तक निरोध में रहा है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, अपीलार्थी की आयु, अपराध की प्रकृति, जप्तशुदा सामग्री की प्रकृति को देखते हुए तथा संपूर्ण तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में इतनी लंबी अवधि के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्त बादामसिंह को कारावास के लिए भेजा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, केवल निरोध में व्यतीत की गयी अवधि से ही न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।
11. अतः विचारण न्यायालय द्वारा बादामसिंह को आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी)(बी) के दण्डादेश को अपास्त किया जाता है एवं एक वर्ष के कठिन कारावास के स्थान पर अपीलार्थी /अभियुक्त बादाम सिंह द्वारा निरोध में व्यतीत की गयी अवधि से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।
12. अपीलार्थी के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।
13. प्रकरण में जप्तशुदा छुरा के संबंध में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
14. निर्णय की प्रति के साथ विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित ।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

(एच.के. कौशिक)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

(एच.के. कौशिक)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड